BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 602 of 2022

IN THE MATTER OF

Utkarsh Singh Chauhan ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors ....Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER BY THIS HON'BLE TRIBUNAL DATED 07.05.2024.

I Manoj Singh aged about 59 years, S/o Late Shri Survyay Singh, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of Uttar Pradesh presently posted at Lucknow, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 07.05.2024 of this Hon'ble Tribunal.

2. At the outset, with the utmost respect it is submitted that all the officers and authorities of the State of Uttar Pradesh have the highest respect and regard to the orders passed by the Hon'ble Tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal in true letter and spirit.

3. That in this Original Application, the applicant by email copy of letter petition addressed to Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh regarding conservation and development of lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow. The applicant contends that 'Chande Baba Talab,' encompassing 100 acres, is the largest lake in Lucknow City and holds religious significance. During winter, it attracts thousands of migratory birds, though their numbers are declining due to encroachments and reduced water levels. The lake's water source, the Nagwa Nala storm water drain, currently flows into the River Sai, resulting in wasted fresh water. The applicant asserts the necessity of redirecting this drain to Chande Baba Lake to improve its water level. Urgent actions are required, including desilting the lake, increasing its retention capacity, providing for overflow, removing encroachments, constructing a boundary wall or fence, afforesting its perimeter, and enhancing the area to attract tourists and migratory birds.

4. That by way of noticed issued dated 22.09.2022 by this Hon'ble Tribunal a Joint Committee comprising of representative of State Wetland Authority, Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow, State PCB, DFO and District Magistrate, Lucknow was directed to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month, which was submitted on 13.01.2023. It is submitted here that Reports have been submitted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB) dated 8.05.2023, and 1.05.2023, and by the District Magistrate of Lucknow via emails dated 15.10.2023, 17.10.2023,23.01.2024, and 6.05.2023.

5. That the Original Application was listed on 07.05.2024 for hearing before the Hon'ble Tribunal. After hearing the matter and perusal of the report filed by the UPPCB and District Magistrate, Lucknow passed the order which is as follows:

> *"7. We have gone through the reports and we find that requisite remedial measures essentially required to be taken for restoration of Chande Baba Talab have not been taken by the concerned authorities so far. The question as to whether Chande Baba Talab is liable to be declared wetland in view of the area involved has also not been considered/decided.*
>
> *8. No doubt the matter of removal of encroachments is also involved but the area under encroachment is merely 3.1859 hectare and the remaining area is available for restoration which needs to be focused upon and given priority and the matter of restoration/rejuvenation of remaining area of the pond cannot be allowed to be delayed by tagging the same with the question of removal of encroachments.*
>
> *9. Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions fortaking of remedial measures and file their own affidavits within two monthsregarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.*
>
> *10. The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning in detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab' alongwith copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.*
>
> *12. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, CDO and DFO, Lucknow before this Tribunal on the next date of hearing physically or through VC to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are directed to remain present before this Tribunal on that date."*

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVT. OF INDIA

7/8/24
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

6. It is submitted with the utmost respect and regard that in compliance of the last order dated 07.05.2024 by this Hon'ble Tribunal, where the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of Uttar Pradesh was directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

7. It is submitted that vide letter no. 1002/81-4-2024 dated 05.07.2024 by the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh, has written to the Principal Chief Conservator of Forest and Head of Department (hereinafter referred to as PCCF), Lucknow and District Magistrate (hereinafter referred to as DM), Lucknow to make efforts for immediately providing clear compliance report along with complete details/records in a timely manner.

   True Copy of the Letter dated 05.07.2024 has been annexed herein as **ANNEXURE R1.**

8. It is submitted that vide letter no. 1002(1)/81-4-2024 dated 29.07.2024, Secretary, Government of Uttar Pradesh has again written to PCCF, Lucknow and Head of Department, Uttar Pradesh to prepare an Action taken Report on the developmental activities being conducted for preservation of the Pond in question. That in compliance of the above letter Joint Secretary, Govt. of U.P. vide letter no. 1002(2)/81-4-2024 dated 29.07.2024 has informed to the PCCF, Lucknow and DM, Lucknow to join the meeting on dated 30.07.2024 at 10:30 a.m. under the chairmanship of the Secretary, Govt. U.P. for discussing the recent development of the area around the Pond and preparation of the final draft of the Action Taken Report.

   True Copy of the letters dated 29.07.2024 and 29.07.2024 have been annexed herein as **ANNEXURE R2.**

9. It is important to mention here that Secretary, Govt. of U.P. vide letter no. 1002(3)/81-4-2024 dated 05.08.2024 wrote to PCCF, Lucknow and DM, Lucknow to submit a report about the action being taken with regard to the instructions given in the meeting conducted on 30.07.2024. It is humbly submitted here that Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow vide letter no. 999/35-1 dated 06.08.2024 informed the PCCF, Lucknow that the final Action taken Report has been prepared for highlighting the zealous efforts that are being taken in compliance of the last order dated 07.05.2024 by this Hon'ble Tribunal in the present matter of the 'Chande Baba Talab'.

   True Copy of the Letters dated 05.08.2024 and 06.08.2024 have been annexed herein as **ANNEXURE R3.**

7/8/24

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

10. It is pertinent to mention here that the matter in question for rejuvenation and development of the lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow, has been taken up with utmost sincerity and continuous, strenuous and meticulous efforts are being taken in order to ensure that diligent compliance is made to the order dated 07.05.2024 by this Hon'ble Tribunal. That multiple tasks like

- Removal of Encroachment around the Pond
- Removal of Hyacinth
- Identification and taping of drains to curtail Pollution Source sat inlet.
- Removal of Polluted Water from Pond
- Rejuvenation/Beautification of the Pond
- Development of Green Belt
- Water Monitoring of the Pond

have been taken up by the concerned departments under the directions of the undersigned. It is germane to mention here that the efforts elaborated above clearly shows the intent for complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and to work towards preservation and development of such projects which help in conservation, protection, preservation and safeguarding the environment for a more sustainable growth. That an Action Taken Report dated 06.08.2024 on the tasks mentioned above along with the letters from authorities to direct various departments to take up such tasks has been prepared for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

True Copy of the Action Taken Report dated 06.08.2024 has been annexed herein as **ANNEXURE R4.**

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed there from.

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 7th day of 8, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Sworn and Verified
Before Me
7/8/2024
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO.20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

DEPONENT

Identify the deponent/Executant/Surety who has/have signed/Put ... before me.
7/8/24

ANNEXURE -1

कोर्टकेस/समयबद्ध

संख्या-1002/81-4-2024

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 05 जुलाई, 2024

विषय- ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के क्रम में चंदेबाबा तालाब को आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है:-

" Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning in detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab' alongwith copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.

List for further consideration on 08.08.2024. ...."

3- अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिनांक 07.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्ण विवरण/अभिलेखों सहित सुस्पष्ट अनुपालन आख्या/प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं प्रकरण मे समयबद्ध रूप से शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी /प्रबल प्रतिवाद कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक यथोक्त।

Signed by
Ravi Shanker Mishra
Date: 05-07-2024 16:10:05

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20913
GOVERNMENT OF INDIA

ANNEXURE-2

कोर्टकेस/समयबद्ध

संख्या-1002(1)/81-4-2024

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2024

विषय- ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के क्रम में चंदेबाबा तालाब को आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1002/81-4-2024 दिनांक 05-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में पूर्ण विवरण सहित सुस्पष्ट अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने तथा प्रकरण मे समयबद्ध रूप से शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी /प्रबल प्रतिवाद हेतु निर्देशित किया गया था।

2- अवगत कराना है कि उक्त के अनुपालन में आख्या अभी तक शासन में अप्राप् त है , जबकि वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 08.08.2024 नियत है। वाद में अपर मुख्य सचिव महोदय को शपथपत्र दाखिल किये जाने के निर्देश प्राप्त है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत वाद में दिनांक 07.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्ण विवरण सहित सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं अपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से दाखिल किए जाने हेतु शपथपत्र की रूपरेखा शासन को 02 कार्य दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं प्रकरण मे समयबद्ध रूप से स्वस्तर से अपेक्षित शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी /प्रबल प्रतिवाद कराना सुनिश्चित करें । अन्यथा यदि वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है अथवा प्रकरण में मा0 एन0जी0 टी0 के समक्ष कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

भवदीय

Signed by
Ashish Tiwari
Date: 26-07-2024 19:01:08

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ को शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.07.2024 के क्रम में उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

आशीष तिवारी
सचिव

NOTARY
C. P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20915
GOVERNMENT OF INDIA
7/8/24

ANNEXURE-2

<u>बैठक दिनांक 30.07.2024 पूर्वान्ह 10.30 बजे</u>

<u>संख्या-1002(2)/81-4-2024</u>

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिलाधिकारी जनपद लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2024

विषय- जनपद लखनऊ स्थित "चंदे बाबा तालाब" को आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1002/81-4-2024 दिनांक 05.07.2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-1002(1)/81-4-2024 दिनांक 29.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही के पूर्ण विवरण सहित सुस्पष्ट आख्या एवं समयबद्ध रूप से शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी /प्रबल प्रतिवाद हेतु निर्देशित किया गया था।

2- अवगतार्थ हैं कि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 07.05.2024 को पारित आदेश (वेबसाइट पर उपलब्ध) के क्रम में अपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र की रूपरेखा एवं जनपद लखनऊ स्थित "चंदे बाबा तालाब" को आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किए जाने के संबंध में सम्यक विचार विमर्श हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में बापू भवन छठा तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष संख्या-609 में दिनांक 30-07-2024 को पूर्वान्ह 10:30 बजे बैठक आहूत की गई है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आहूत बैठक में समस्त सुसंगत सूचनाओं /अभिलेखों तथा सम्बन्धित अधिकारियों सहित समयानुसार प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
Ravi Shanker Mishra
Date: 29-07-2024 15:14:31

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को बैठक में समस्त सुसंगत सूचनाओं /अभिलेखों तथा सम्बन्धित अधिकारियों सहित समयानुसार प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA

ANNEXURE-3

कोर्टकेस/समयबद्ध

संख्या-1002(3)/81-4-2024

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

और विभागाध्यक्ष,

उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2024

विषय- ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के क्रम में 'चंदेबाबा तालाब' को आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1002(2)/81-4-2024 दिनांक 29-07-2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में सम्यक विचार-विमर्श कर समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र तैयार कर दाखिल कराये जाने हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2024 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्देश दिए गये:-

1. - प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के क्रम में चेयरमैन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तरफ से दाखिल किए जाने वाला शपथ-पत्र, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव/मेम्बर सेक्रेटरी द्वारा समयान्तर्गत दाखिल किया जाय।
2. - प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक दशा में शासन को दिनांक 02.08.2024 तक उपलब्ध करायी जाय, जिससे शासन स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सके।

2- अवगत कराना है कि उक्त बैठक में दिए गये निर्देशों के क्रम में अभी तक अनुपालन आख्या शासन में अप्राप्त है, जबकि वाद में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 08.08.2024 नियत है, जिसमें चेयरमैन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवंअपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से शपथ-पत्र दाखिल किया जाना है। उक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उक्त बैठक दिनांक 30.07.2024 में दिए गये निर्देशों के

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.2091
GOVERNMENT OF INDIA

अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए आज ही अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे मा० एन०जी०टी० में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर दाखिल कराया जा सके।

भवदीय

Signed by
Ashish Tiwari
Date: 05-08-2024 15:57:04

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तत्काल आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,
आशीष तिवारी
सचिव

NOTARY
C.P. MISRA
ADVOCATE
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20017
GOVERNMENT OF INDIA

7/8/24

ANNEXURE-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 999 / 35-1 लखनऊ, दिनांक, अगस्त, 06/08/2024.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में अनुरोध पूर्वक अवगत कराना है कि उक्त विषयक प्रकरण से संबंधित समस्त विभागों से रिपोर्ट/आख्या संकलित कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संख्या 999 /35-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0, शासन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

06.8.24

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY
C.P. MISRA
ADVOCATE & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA
09/8/24

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक-224/एस0टी0/एन0जी0टी0सन्दर्भ/2024-25 दिनांक- 06 अगस्त, 2024

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 एवं अग्रेत्तर आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपार्ट (ATR) प्राप्त की गयी। अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) निम्नवत् है-

1-**Removal of encroachment around the pond**-उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:-

a- तालाब गाटा संख्या-268 में आवासीय समस्त 123 परिवारों को सर्वे कराकर सूची तैयार ली गयी है।

b- उक्त 123 परिवारों में से 05 परिवारों को बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

c- अवशेष 118 अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को अन्य ग्राम लोनहा में आवासीय भूमि चिन्हित कर नियमानुसार आवंटित किये जाने की कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनांक 30.03.2024 को पंचायत भवन ग्राम लोनहा में खुली बैठक की गयी, जिसमें ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) आवंटन ग्राम गढ़ी चुनौटी के 118 परिवारों हेतु किये जाने विषयक चर्चा की गयी, जिस पर ग्रामवासियों एवं पंचायत सदस्यों द्वारा कहा गया कि हमारे ग्राम में भूमि संसाधन पहले से कम हैं। ग्राम में अनेक योजनाएं एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में और भूमि की आवश्यकता पडेगी। अतः ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) का आवंटन ग्राम गढ़ी चुनौटी के ग्रामवासियों को नही किया जाना चाहिए। अतः अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) को ग्राम गढ़ी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया। पुनः अध्यक्ष की अनुमति से दिनांक 29.04.2024 को ग्राम पंचायत लोनहा में पुनः बैठक की गयी, जिसमें भी भूमि आवंटित न किये जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है (संलग्नक-01)।

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA

(2)

2–**Removal of hyacinth**–खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के अन्तर्गत मौके पर मौजूद तालाब में जलकुम्भी की सफाई का कार्य माह जून में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था, पुनः वर्षा होने एवं तालाब में जल भराव होने के कारण तालाब में पुनः जल कुम्भी हो गयी है, जिसकी सफाई का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है(फोटो संलग्न)। वर्षा काल में अधिक गहराई वाले क्षेत्र में जल भराव अधिक होने के कारण वर्तमान में कार्य में कठिनाई होने के साथ–साथ श्रमिकों हेतु खतरनाक भी है, किन्तु कार्य निरन्तर प्रगति पर है, अतिशीघ्र शत–प्रतिशत सफाई कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। (संलग्नक–02)

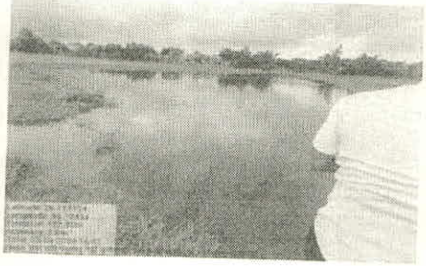

3–**Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet**
खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि तालाब के पास निवास कर रहे विभिन्न बस्तियों के मकानों से गन्दा पानी तालाब में गिराया जा रहा था जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, नट खेड़ा तथा बनियन खेड़ा बस्ती में निवास कर रहे लगभग 20 व्यक्तिगत परिवारों के द्वारा अपने घरों के पानी को तालाब में गिराया जा रहा था। उसे कुल 290 मी0 पक्की नाली एवं 03 सोकपिट 03 फिल्टर चैम्बर एवं सिल्ट कैचर ग्राम पंचायत से बनाकर गन्दा पानी तालाब में जाने से रोक दिया गया है। अब कोई भी गन्दा पानी तालाब में नहीं जा रहा है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:–

1– तालाब के जल स्त्रोतों हेतु सोकपिट का निर्माण कराये गये है, जिससे अपशिष्ट जल को घर से दूर एकत्र करने और निपटाने में मदद मिलती है। सोकपिट अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- गढ़ी चुनौटी में मुन्नीलाल के दरवाजे के पास सोकपिट निर्माण।
b- गढ़ी चुनौटी में रमेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
c- गढ़ी चुनौटी में नरेन्द्र के घर के पास सोकपिट निर्माण।

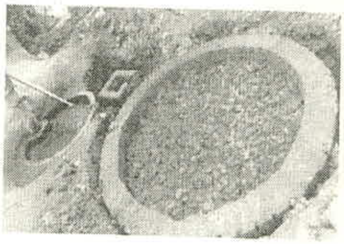

2– तालाब के जल स्त्रोतों हेतु फिल्टर चैम्बर का निर्माण कराया गया है, जो गाद, मिट्टी, तलछट धातुओं एवं कीटनाशकों को जल भण्डारण प्रणाली में प्रवेश करने एवं नुकसान पहुचाने से रोकते है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।
b- [illegible]याल के घर के पीछे फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।
c- [illegible] विला[illegible] के घर के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण

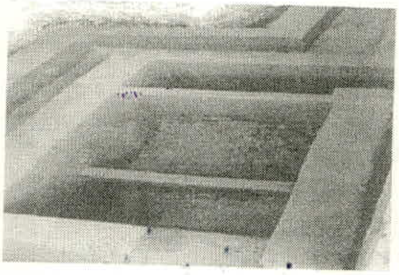

NOTARY C.P. [illegible] ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 2091 INDIA 7/8/24

(3)

3– तालाबों के जल स्त्रोतों हेतु सिल्ट कैचर का निर्माण कराया गया है, जो कि सिल्ट को टैंक के तल पर एकत्रित करके पानी को फिल्टर करने का काम करता है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

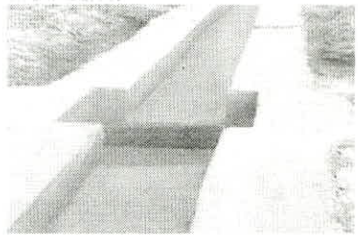

a- दरियापुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण व सिल्ट कैचर कार्य।

4– दूषित जल प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निकालने हेतु नाली निर्माण कराया गया है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- चन्द्रिका के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।

b- राम प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।

c- सुनील के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। **(संलग्नक–02, 03)**

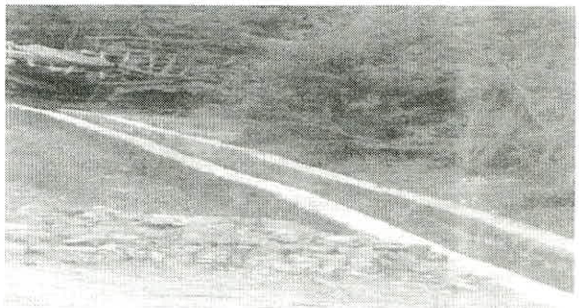

4- **Removal Of Polluted Water From Pond**– 03 नाले से गन्दा पानी तालाब में सामूहिक रूप से गिर रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त समस्त बस्तियों व व्यतिगत घरों के पानी को ग्राम गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, बनियनखेड़ा, नटखेड़ा से होते हुये डामर रोड तक कुल 1050 मी0 के नाले, जो 03 मी0 चौड़ा तथा 02 मी0 गहरा है, की खुदाई ग्राम पंचायत से कराते हुये गन्दे पानी को तालाब में जाने से रोक दिया गया है। इस गन्दे पानी को उपरोक्त नाले के माध्यम से चॉदे बाबा तालाब की सीमा से बाहर करते हुए अन्य नाले (नगवा नाला) में जोड़ दिया गया है, जिससे गन्दा पानी नाले से होकर तालाब से बाहर जा रहा है। **(संलग्नक–04)**

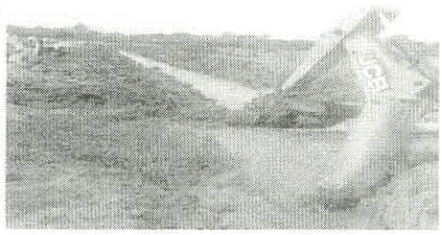

5–**Rejuvenation/Beautification Of The Pond**–उक्त के क्रम में चॉदे बाबा तालाब, जो 36.96 हे0 का है, के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुन्दरीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ से विस्तृत मॉडल डी0पी0आर0 तैयार कराया गया, जिसमें डी–सिल्टिंग हेतु मिट्टी खुदाई, तालाब के चारों तरफ बन्धा निर्माण, जल एकत्रीकरण हेतु इनलेट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल लागत रू0 22.41 करोड़ का प्राक्कलन गठित किया गया है। वर्तमान में बजट की उपलब्धता न होने के कारण उक्त कार्य को चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा। प्रथम चरण में मौके पर उपलब्ध तालाब एवं उसके आस–पास खुदाई कर तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा योजना / कन्वर्जेन्स के माध्यम से लगभग–2.90 हे0 क्षेत्र में कराने

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 20914 GOVERNMENT OF INDIA

की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, लखनऊ द्वारा प्रदान कर दी गयी है। जिसका कार्यादेश सम्बन्धित विभाग को पत्र संख्या–220 दिनांक–05–08.2024 द्वारा प्रदान कर दिया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त होने एवं जल स्तर में कमी होने पर मौके पर मौजूद आंशिक तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अवशेष तालाब क्षेत्र की मिट्टी खुदाई एवं उठान का कार्य एन0एच0ए0आई0 एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से शासकीय कार्यहित में बनाये जा रहे मार्गों पर डालने के रूप में कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 2.00 हे0 क्षेत्र से 34363 घन मी0 खुदाई/उठान हेतु पी0एन0सी0 इन्फाटेक लि0 को खनन के लिए अनुज्ञा संख्या–एन0ओ0सी0/ओ0ई0/2024/7/4/376328 दिनांक 02.08.2024 को प्रदान की गयी है। जिसका कार्य संस्था द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है **(संलग्नक–05)।**

6–**Development of green belt**–प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–74 दिनांक–03.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया था कि चॉदे बाबा तालाब के संरक्षण हेतु कुल 1000 पौधे आयरन ट्री गार्ड के साथ पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों के अनुसार रोपण किया गया है एवं उक्त समस्त रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा भी अवगत कराया गया है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में कुल 1300 पौधे रोपित किये गये है, जो कि वर्तमान में जीवित है **(संलग्नक–06)।**

7–**Water monitoring of the pond**–क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–692 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के समादर में चॉदे बाबा तालाब के जल का अनुश्रवण मासिक रूप से कराया जा रहा है, जिसकी अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नक–07)।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

NOTARY
C. P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20917
GOVERNMENT OF INDIA

ERK

संलग्नक - 01 (1)

कोर्ट केस

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

उपायुक्त (श्रम रोजगार),
लखनऊ।

पत्रांक 531 /वाद सहा0/जि0वि0अ0/2024–25 दिनांक 10.6.024

विषयः– ओरिजनल अप्लीकेशन नं0–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दा नेशनल ग्रीन अधिकरण के आदेश दिनांक 07–05–2024 संलग्न का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रश्नगत प्रकरण चान्दे बाबा तालाब से सम्बन्धित हैं।

अतः उक्त वाद प्रपत्र में पारित आदेश दिनांक 07–05–2024 को संलग्नकर इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित हैं कि कृपया मा0 अधिकरण द्वारा दिए गये निर्देशों का परिपालन तथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–1–मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2–जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की सेवा में अवलोनार्थ प्रेषित।

1377

DC Mamrega (श्रम रोजगार)

CDO

11/6/2024

11.6.24

(रणजीत कुमार मौर्य)
वैयक्तिक सहायक (श्रेणी-1)

जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सहायक APO

उपायुक्त (श्रम रोजगार)
लखनऊ

7/8/24

NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 2091

(2)

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ के पत्रांक–817/एस0टी0–एस0डी0एम0/2024 दिनांक–24.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में ग्राम गढी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा सं0 268 के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध रूप से आवासित परिवारों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु ग्राम लोनहा की भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को सूचित किया गया। उक्त के क्रम भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम लोनहा द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

दिनांक–14.03.2024 को भूमि प्रबंधक समिति ग्राम लोनहा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान द्वारा "ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814(ऊसर) व 815स (ऊसर) पर ग्राम गढ़ी चुनौटी के 118 परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन के सम्बन्ध मे है" एजेण्डा जारी कर दिनांक–30.03.2024 को पंचायत भवन ग्राम लोनहा में खुली बैठक की गयी। बैठक में इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं पंचायत सदस्यों द्वारा कहा गया कि "हमारे ग्राम में भूमि संसाधन पहले से कम है, ग्राम में अनेक योजनाएं व कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 व 815 का आवंटन ग्राम गढी चुनौटी के ग्रामवासियों को नही किया जाना चाहिए, क्योकि ग्रामसभा में भविष्य की उपयोगिता हेतु भूमि को संरक्षित रखना चाहिए।"

अतः अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 (ऊसर) व 815 (ऊसर) को ग्राम गढी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया व सहमति न बनने के कारण सभी को पुनः विचार हेतु अध्यक्ष की अनुमति से अगली बैठक दिनांक–29.04.2024 को समय 11.30 बजे स्थान पंचायत भवन लोनहा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया।

उक्त के क्रम में दिनांक 29.04.2024 को पंचायत भवन लोनहा में पुनः बैठक की गयी। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा कहा गया कि ग्राम की भूमि पर ग्रामवासियों के उत्थान एवं विकास के कार्य कराये जाने चाहिए न कि अन्य ग्रामवासियों को भूमि आवंटित की जानी चाहिए। भविष्य में योजनाओं हेतु भूमि की अनुपलब्धता नही होनी चाहिए।

Vishal yadav

NOTARY ... MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO ...

(2)

अतः समिति की सर्वसम्मति से एवं अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति की सहमति से पुनः ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 (ऊसर) व 815 (ऊसर) को ग्राम गढी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु ग्राम गढी चुनौटी से संलग्न अन्य ग्रामों व न्याय पंचायत में भूमि की उपलब्धता की जांच की जा रही है एवं उपयुक्त भूमि पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम गढी चुनौटी के गाटा सं0 268(तालाब) पर आवासित 118 गरीब परिवारों को पुर्नस्थापित किये जाने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रचलित है।

आख्या अग्रिम दिशा निर्देश प्रदान किये जाने हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

Vishal Yadav
गढी चुनौटी
30/4/2024

महोदय, लेखपाल आख्या प्रेषित

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-आंवा
तहसील सरोजनी नगर

महोदय,
रा० नि० आख्या दि० 01.5.2024
सादर प्रेषित
01.5.24

महोदय,
नी.तह. आख्या अवलोकित/ इसके अतिरिक्त प्रश्नगत गाटे पर आवासित आवंटन हेतु अपात्र 05 परिवारों की नियमानुसार बेदखली हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
01/05/2024
Teh (Sng)

NOTARY
7/8/24

(4)

Date ___/___/_____ Page No.: _______

एजेण्डा।

आज दि० 14/03/2024 को भूमि प्रबंधक समिति ग्रा० लोनहा पर० बिजनौर तह० सरोजनी नगर ज० लखनऊ के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान के द्वारा समस्त सदस्यों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि भू०प्र०स० को कार्या० उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ दि० 25-02-2024 पत्रांक-817/एस०डी०-एम०डी० एम०/2024 का पत्र मंत्री (भू०प्र०स०) के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमे उल्लिखित विषय जो की ग्राम लोनहा की गाटा सं० 814 (ऊसर) व 826 (ऊसर) पर ग्राम अगहीचुनौटी के 118 परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन के विषय मे है। पर विचार किए जाने हेतु भू० प्र० स० की खुली बैठक दि० 30/03/2024 को समय 11:30 बजे दिन मे पंचायत भवन ग्राम लोनहा मे की जाएगी। जिसमे सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बिठक्त के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पर चर्चा अध्यक्ष (भू०प्र०स०) की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है।	पवन कुमार Arwind अनिलकुमार पुष्पा ज्ञानदुलारी अशोककुमार सुधीरकुमार [signature] [signature] [signature]

[signature] [signature]
14/03/2024

NOTARY C.P. [illegible] ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. [illegible] INDIA

"... do small things with great love. Happy are those." —Mother Teresa

Date ___/___/______ Page No.: ______

(5)

कार्यवाही

अध्यक्ष (भू०प्र०स०) ग्राम लौनहा द्वारा पूर्व सूचना दि० १५-०३-२०२४ के अनुसार आज दि० ३०/०३/2024 को ग्राम लौनहा परगना बिजनौर तह० सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमती रामरानी गौतम ग्रामप्रधान की अध्यक्षता मे खुली बैठक समय 11:30 बजे दिन मे पंचायत भवन ग्रा० लौनहा मे आयोजित की गई है। भू० प्र० स० मे कुल 13 सदस्य हैं जिसमें से 10 सदस्य बैठक मे उपस्थित है बैठक में कोरम पूरा है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की अग्रिम कार्यवाहि प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम पंकज कुमार सदस्य ने अपनी बुलन्द आवाज मे भूमि प्रबन्धक समिति (ग्रा० लौनहा) को प्राप्त पत्र द्वारा कार्या० उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ दि० २५-०२-2024 पत्रांक- आर/एस०टी०-एस०डी० एम०/2024 मे दिए गए विचार जो की ग्राम लौनहा की गाटा सं० ६१५ (अमर) व ६०२ स (अमर) मे ग्राम गाटी पुरौष के 110 परिवारो को आवासीय पट्टा आवंटन के सम्बंध मे है।। पर कहा गया की हमारे ग्राम के भूमि संसाधन पहले से कम है। गाव मे अनेक योजनाए व कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जिसमें भविष्य मे और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ग्राम की गाटा सं० ६१५ (अमर) व ६०२ स (अमर) का आवंटन अन्य ग्राम वासियों को नही किया जाना चाहिए। जबकि ग्राम की भविष्य की उपयोगिता हेतु भूमि को संरक्षित रखना चाहिए।

सदस्य अरविन्द कुमार के द्वारा इस विचार पर पुरजोर समर्थन किया

[Right margin signatures: पंकज कुमार; Arvind; अखिल; पुष्पा; ज्ञानकुमारी; सुधीर कुमार; अशोक कुमार; Deepak; Laxmi Gautam; [signature]; [signature]]

NOTARY — ADV. — LUCKNOW U.P. — REGN. NO. 2091 — INDIA — 1/4/24

(6)

Date ___/___/______ Page No.: ______

जिसका बैठक मे उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर समर्थन किया गया।

अतः सर्वसम्मति से एवं अध्यक्ष (भू० प्र० स०) की सहमति से ग्राम की गाटा सं० (ताप बिजली) व (ऊसर) की ग्राम गढ़ी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष मे प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रस्तुत पत्र पर सहमति न बनने के कारण सभी को पुनः संलग्न पत्र के विषय के गुण/दोष पर विचार हेतु अध्यक्ष की अनुमति से अगली बैठक दि० २५-०४-२०२५ को समय 11:30 बजे स्थान पंचायत भवन ग्रा० लौनहा को निर्धारित कर सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाता है।

अन्य प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष (भू० प्र० स०) की अनुमति से बैठक समाप्त की जाती है।

ग्राम प्रधान

ह० ३०/०३/२०२५

(7)

Date ___/___/______ Page No.: ______

कार्यवाही

आज दि० 25-04-2024 को पिछली खुली बैठक में पंचायत दिए गए निर्धारित समय 11:30 बजे दिन में पंचायत भवन ग्रा० लौनहा में अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति ग्राम लौनहा पर० बिजनौर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ श्रीमती रामरानी गौतम ग्राम प्रधान की अनुमति से आयोजित की गई है भू०प्र०स० में कुल 15 सदस्य हैं। जिसमें से 10 सदस्य बैठक में उपस्थित हैं। बैठक का कोरम पूरा है अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लक्ष्मी शर्मा सदस्य ने पिछली कार्यवाही खुली बैठक जिसमें पत्र कार्या० उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ दि० 25-02-2024 पत्रांक ग्रा०/स०टी-एनजी०जन०/2024 में वर्णित विषय जो की ग्राम की गाटा नं० 80(बंजर) व 805 (बंजर) को ग्राम ग्राम गढ़ी चुनौती के निवासियों के 118 परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन के सम्बंध में ग्राम के गुण/दोष पर पुनः विचार किए जाने हेतु आज की बैठक आयोजित की गई। पत्र के विषय में बोलते हुए कहा गया है की ग्राम की भूमि पर ग्रामवासियों के उत्थान व विकास के कार्य कराए जाने चाहिए न की अन्य ग्रामवासियों को भूमि आवंटित की जानी चाहिए। भविष्य की योजनाओं हेतु ग्राम की भूमि की अनुपलब्धता नहीं होनी चाहिए उक्त विचार का समर्थन मंयक कुमार सदस्य द्वारा किया गया तथा सभी

पंकज कुमार
पुष्पा
[signature]
[signature] Dayanand
ज्ञानेन्द्र लाल
अनिल
सुधीर कुमार
Laxmi Sharma
अशोक कुमार
[signature] Amell
निर्मल सिंह
Mayank [signature]

NOTARY
ADV.
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVT. OF INDIA
7/8/24

(8)

Date ___/___/______ Page No. ______

उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने दोनों हाथ उठा कर अपना समर्थन व्यक्त किया।	पवनकुमार
अतः सर्वसम्मति से सर्वे प्रमुख अध्यक्ष की सहमति से पुनः ग्राम	पुष्पा
की गाटा सं० [illegible] (आर) व [illegible] (आर) को ग्राम गढ़ी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न	Arvind
किए जाने के पक्ष मे प्रस्ताव पारित किया गया है।	
अतः कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ मे दिए गए विषय पर पुनः	आनन्द लाल
बुलाई गई खुली बैठक सं० (लोनहा) की बैठक मे सर्वसम्मति से ग्राम की गाटा सं० [illegible]	Priyanka
(आर) व [illegible] (मि०) को अन्य ग्राम वासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष मे प्रस्ताव	अनिल
पारित किया गया है।	Laxmi Sharma
अन्य बिन्दु न होने के कारण अध्यक्ष (ग्रा० प्र० स०) ग्राम लोनहा की	
अनुमति से बैठक समाप्त की जाती है।	सुधीर कुमार
2	
	[signature]
Nishal yadav [signature]	अशोक कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी	[signature]
दि० 29/01/2024	

NOTARY
K.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20913
GOVT. OF INDIA

"Facts are facts and will not disappear on account of your likes." — Jawaharlal Nehru

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 817 / एस0टी0–एस0डी0एम0 / 2024 दिनांक : 24-02-2024

राजस्व निरीक्षक अमावां
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 602 / 2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन मे ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) मे आवासित 118 अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को अन्य ग्राम लोनहा मे भूमि गाटा संख्या 814 व 815रू (ऊसर) चिन्हित कर कार्यवाही किये जाने की आख्या आप द्वारा दिनांक 19.01.2024 को उपलब्ध करायी गयी थी।

उक्त के क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) मे आवासित 118 परिवारों को पुर्नवासित किये जाने हेतु ग्राम लोनहा में उक्त चिन्हित भूमि मे आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुये स्पष्ट आख्या सुसंगत साक्ष्यों सहित एक सप्ताह मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 अधिकरण के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, लखनऊ।
3. तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।

उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

NOTARY
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.
GOVT. OF INDIA

(10)

संलग्नक-02

प्रेषक

खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांकः-663 /NGT चॉदे बाबा तालाब / 2024-25 दिनांकः 05 अगस्त 2024

महोदय,

अपने कार्यालय के पत्र संख्या-217 / मनरेगा / NGT चांदे बाबा तालाब पत्रांक संख-0180 / 2023-24 दिनांक-03 जुलाई 2024 का संन्दर्भ लेने की कृपा करें जिसके अन्तर्गत इस विकास खण्ड के ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में राष्टीय हरित अधिकरण के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में चॉदे बाबा तालाब को संरक्षित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त के कम में की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

1-Removal Of Hyacinth- उक्त के अन्तर्गत मौके पर मौजूद तालाब में जलकुम्भी की सफाई का कार्य माह जून में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था, पुनः वर्षा होने एवं तालाब में जल भराव होने के कारण तालाब में पुनः जल कुम्भी हो गयी है, जिसकी सफाई का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है(फोटो संलग्न)। वर्षा काल में अधिक गहराई वाले क्षेत्र में जल भराव अधिक होने के कारण वर्तमान में कार्य में कठिनाई होने के साथ-साथ श्रमिकों हेतु खतरनाक भी है। अतिशीघ्र शत-प्रतिशत सफाई कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

NOTARY
C. MISRA
& NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVT. INDIA

2–Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet/Removal Of Polluted Water From Pond–तालाब के पास निवास कर रहे विभिन्न बस्तियों के मकानों से गन्दा पानी तालाब में गिराया जा रहा था जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, नट खेड़ा तथा बनियन खेड़ा बस्ती में निवास कर रहे परिवारों के द्वारा अपने घरों का पानी गिराया जा रहा था जिसमें कुल तीन नाले तथा लगभग 20 ब्यक्तिगत परिवारों के द्वारा अपने घरों के पानी को तालाब में गिराया जा रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त समस्त बस्तियों व ब्यतिगत घरों के पानी को कुल 1050 मी0 के नाले, जो 03 मी0 चौड़ा तथा 02 मी0 गहरा है, की खुदाई ग्राम पंचायत से कराते हुये गन्दे पानी को तालाब में जाने से रोका गया है। इस गन्दे पानी को उपरोक्त नाले के माध्यम से चॉदे बाबा तालाब की सीमा से बाहर करते हुए अन्य नाले (नगवा नाला) में जोड़ दिया गया है एवं 03 मजरे के लगभग 20 घरों का गन्दा पानी जो खोदी गयी ड्रेन से इतर मार्ग से तालाब में जा रहा था, उसे कुल 290 मीटर पक्की नाली एवं 02 सोकपिट, 03 फिल्टर चैम्बर ग्राम पंचायत से बनाकर गन्दा पानी तालाब में जाने से रोक दिया गया है। अब कोई भी गन्दा पानी तालाब में नहीं जा रहा है।

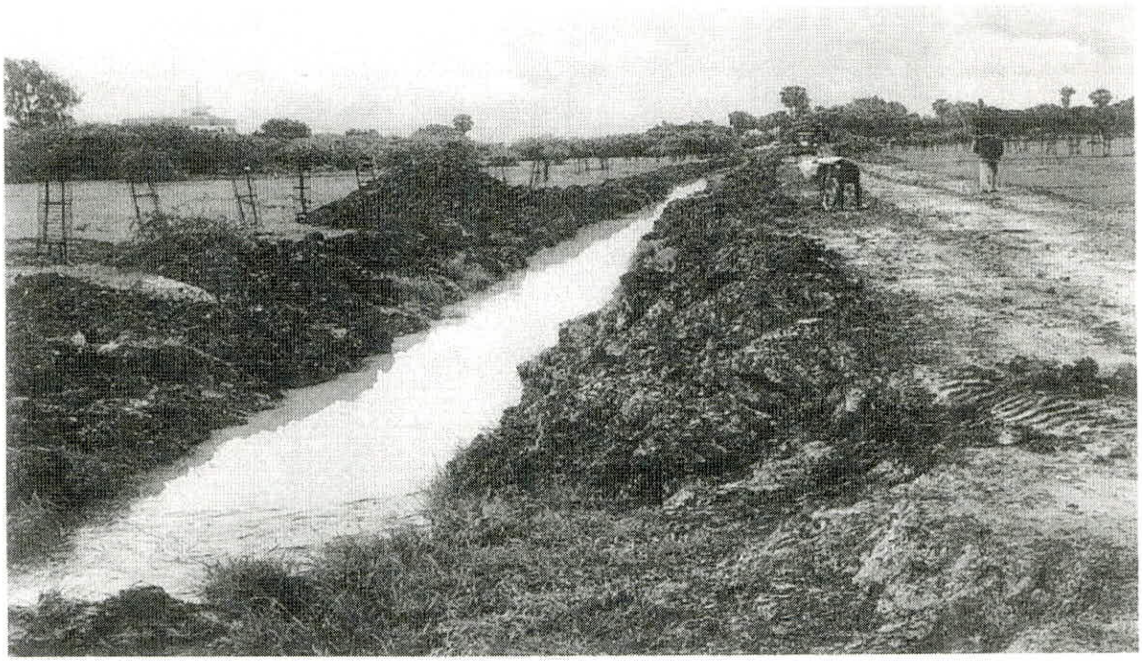

3–Rejuvenation/Beautification Of The Pond – चॉदे बाबा तालाब में वर्तमान में लगभग–2–3 हे0 क्षेत्र में आंशिक रूप से तालाब मौके पर मौजूद है, ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी द्वारा उक्त पर यह प्रस्ताव पास कर प्रेषित किया कि कार्य 01 हें0 से अधिक होने एवं अधिक लागत का कार्य होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना सम्भव एवं नियमानुसार नहीं है। इसे अन्य जनपद स्तरीय कार्यदायी संस्था से कराया जाए। उक्त के क्रम में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य का सर्वे करते हुये 2.90 हे0 में कार्य कराये जाने हेतु कुल 80.87 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हुय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को कार्य कराये जाने हेतु कार्यादेश दिया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त होने एवं जल स्तर में कमी होने पर मौके पर मौजूद आंशिक तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

4– **Plantation** :– वृहद बृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस तालाब पर बृक्षारोपण का कार्य कराया गया जिसके सापेक्ष वर्तमान में इस तालाब पर लगभग 1300 पौधे वर्तमान में जीवित अवस्था में हैं।

सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

पत्रांक/दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
उपायुक्त श्रम–रोजगार,लखनऊ को सूचनार्थ।

खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

संलग्नक 03 (D)

ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड सरोजनीनगर स्थिति चॉद बाबा तालाब के अन्तर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किये गये कार्यों का विवरण

NOTARY
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.
GOVERN

(12)

पूर्व में प्रेषित सूचना के उपरान्त ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड सरोजनीनगर में स्थिति चॉद बाबा तालाब पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्न परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया गया है–

➢ <u>तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु फिल्टर चैम्बर निर्माण–</u>

- तालाब के समीप हरदयाल के घर के पीछे <u>फिल्टर चैम्बर</u> का निर्माण कार्य ।
- तालाब के समीप राम विलास के घर के पास <u>फिल्टर चैम्बर</u> का निर्माण कार्य।

➢ <u>तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाली निर्माण–</u>

- राम प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। 70 मीटर अतिक्ति नाली निर्माण कराया गया है।

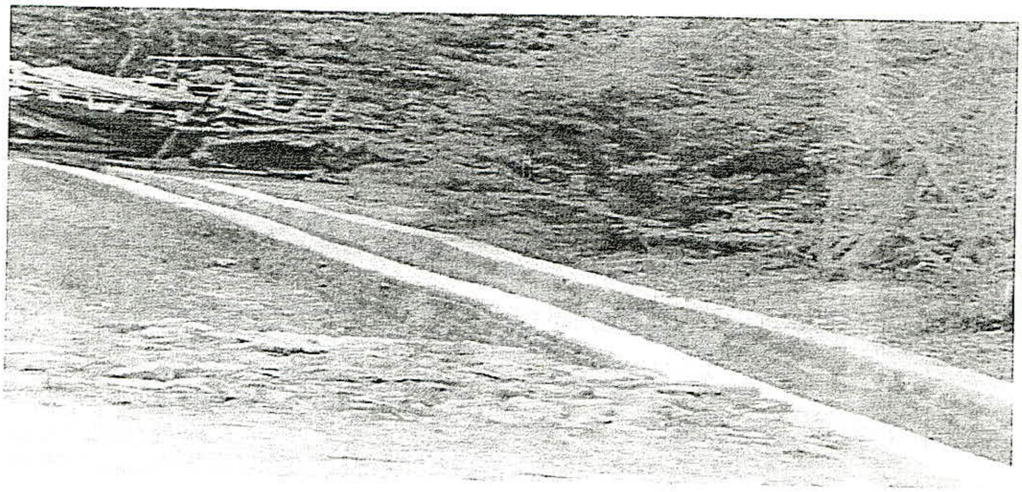

➢ <u>तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाला निर्माण–</u>

- तालाब के समीप तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाला निर्माण कार्य।

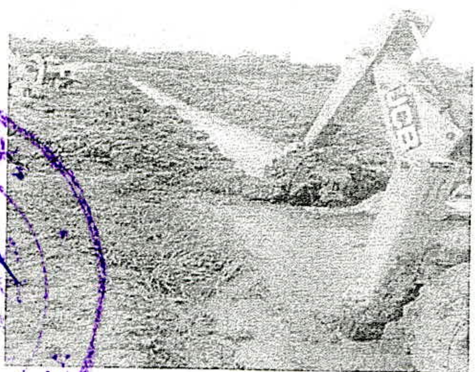

सं०क्र० 04

(14)

ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी

1. ग्राम पंचायत गढी चुनौटी में दारिया पुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण एवं सिल्ट केचर कार्य ।

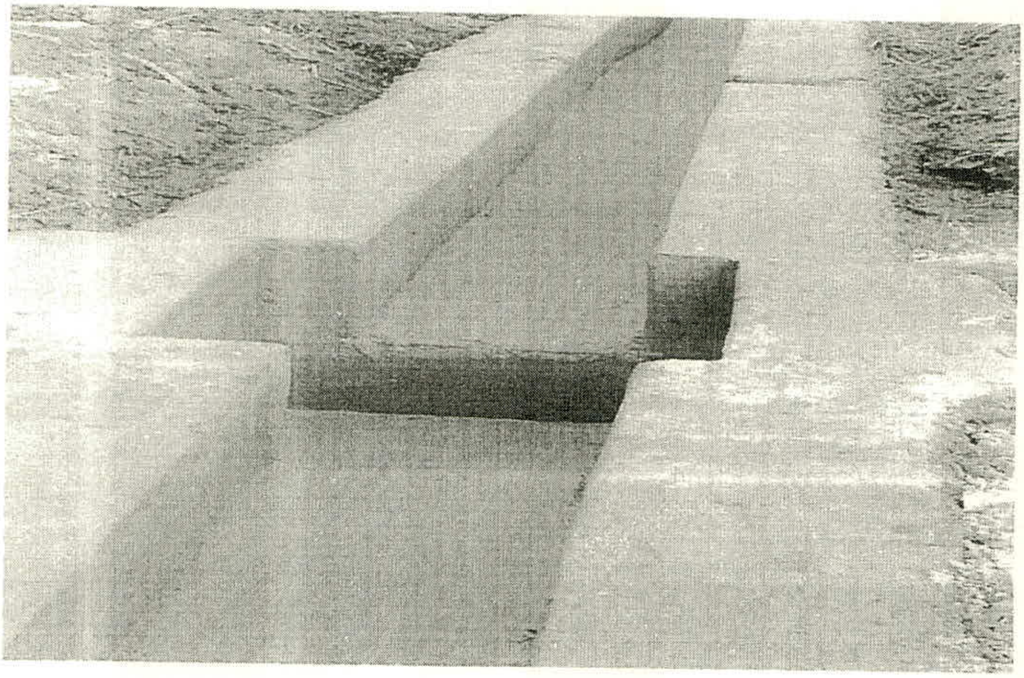

2. नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य ।

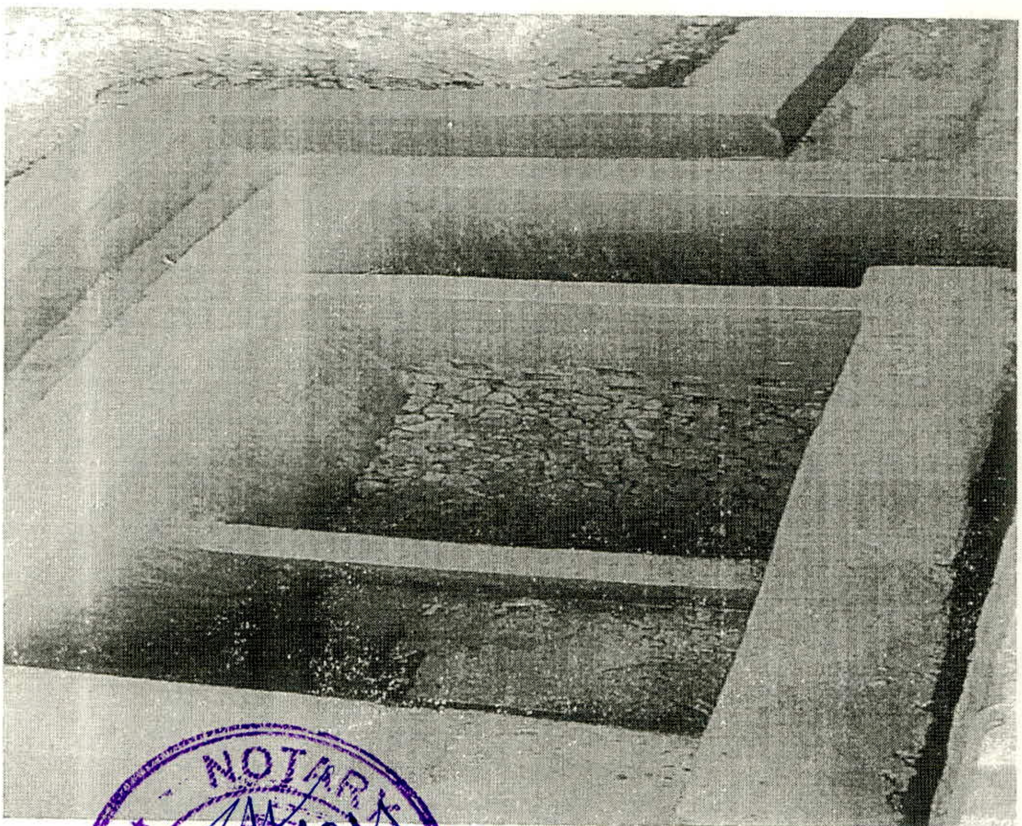

NOTARY
G.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVT.

(15)

3. ग्राम पंचायत चुनौटी में मुन्नी लाल के दरवाजे के पास ।

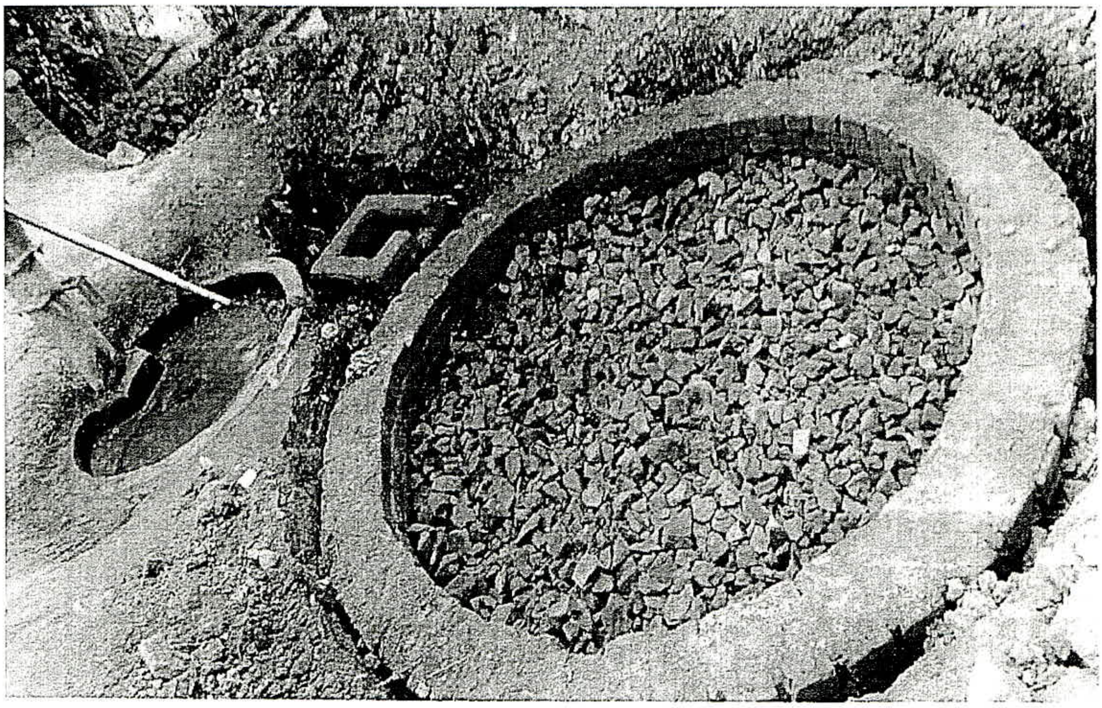

4. ग्राम पंचातय गढ़ी चुनौटी में रमेश पुत्र बाबूलाल के घर पास

NOTARY
LUCKNOW
GOVERNMENT OF INDIA

(16)

5. ग्राम पंचातय गढ़ी चुनौटी में नरेन्द्र के घर पास ।

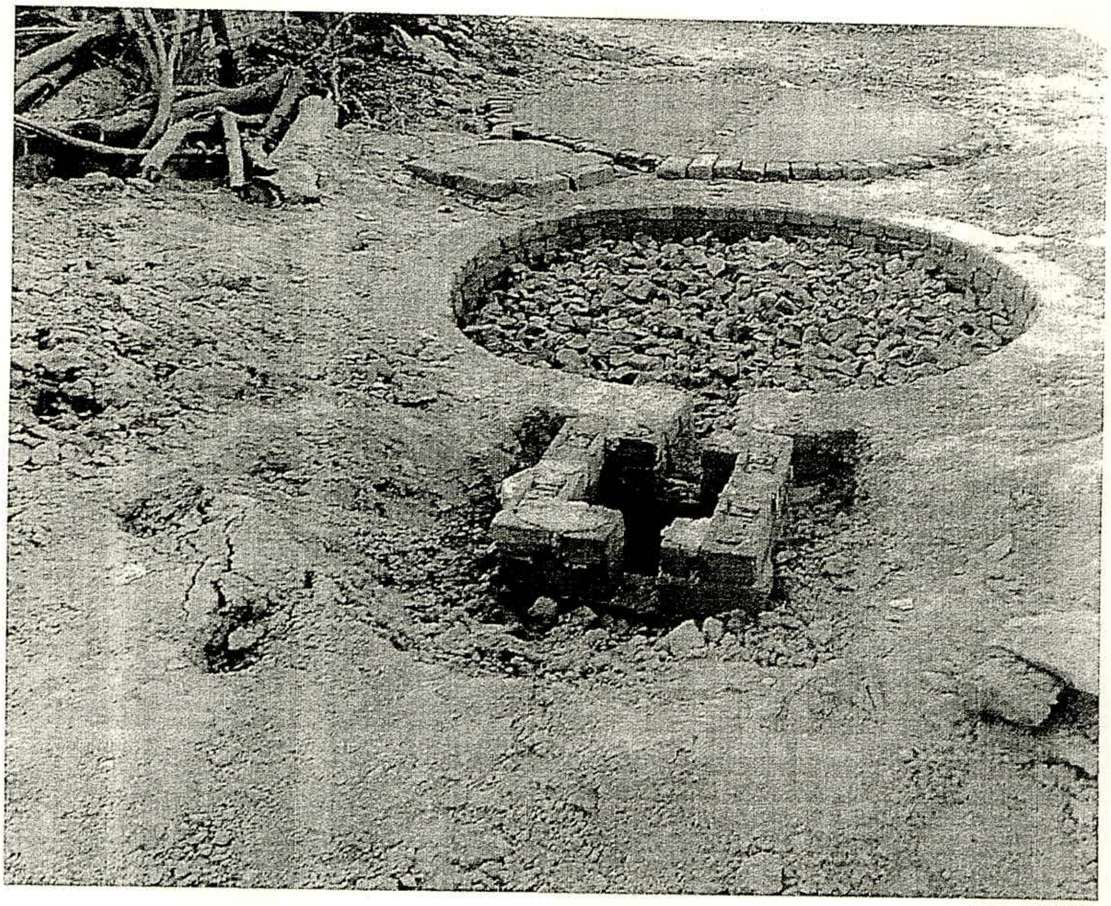

6. ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में चन्द्रीका के घर से गढ़हा तालाब तक नाली निर्माण कार्य 110 मी0।

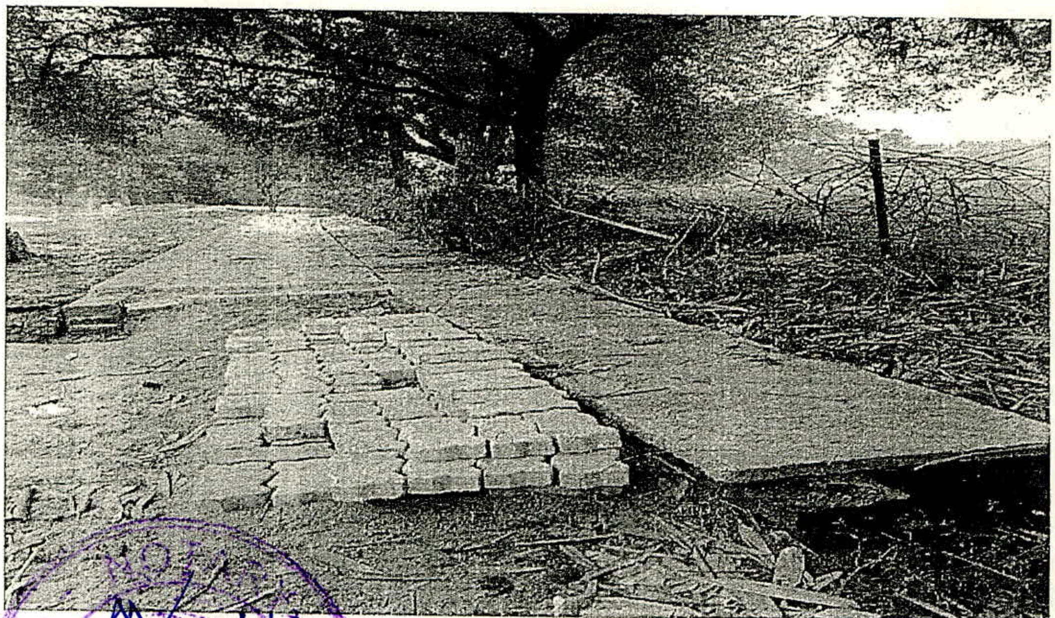

NOTARY
S.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20017
GOVT. OF INDIA

(17)

ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी चान्दे बाबा तालाब के पास निर्माण

1. ग्राम पंचायत गढी चुनौटी में दारिया पुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण एवं सिल्ट केचर कार्य ।

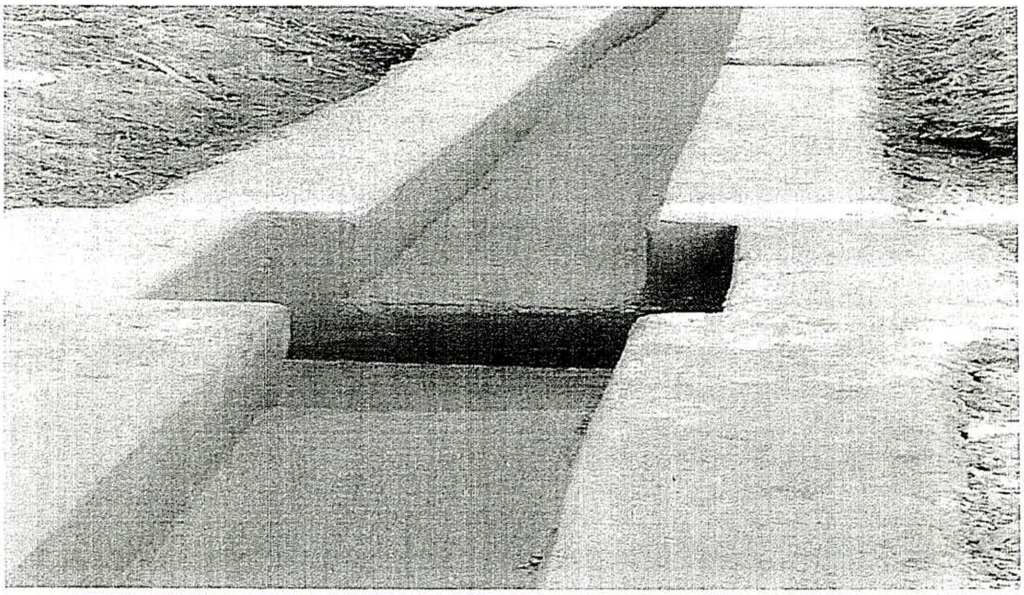

2. नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य ।

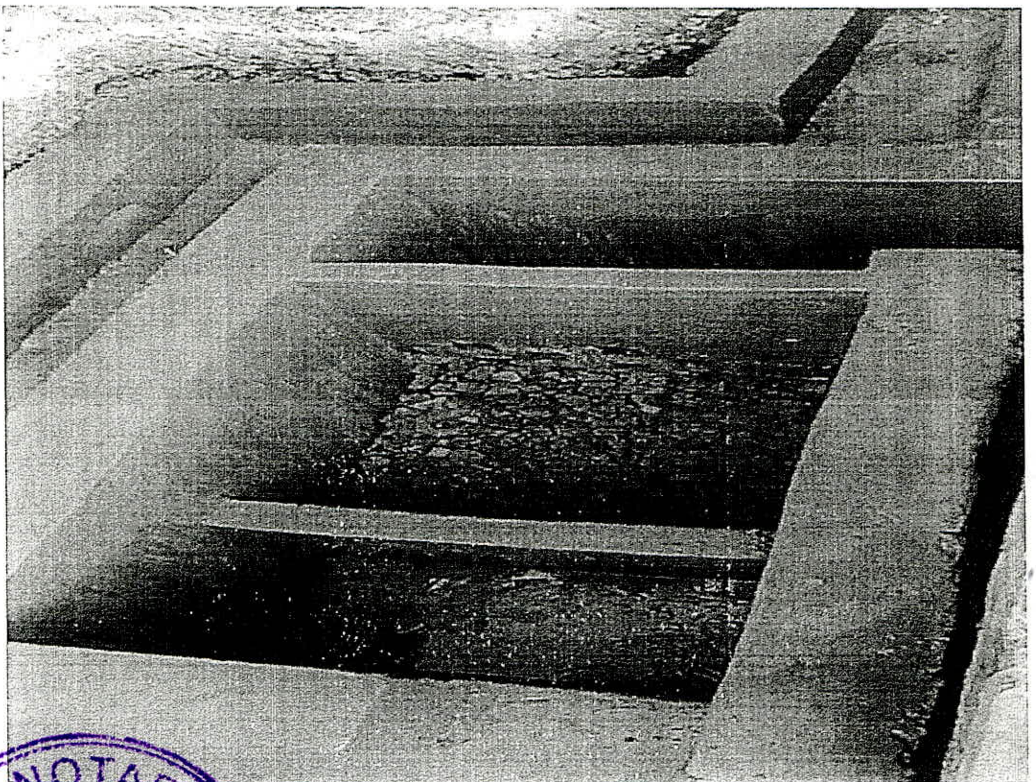

NOTARY
C.P. ... ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. ...
GOVERNMENT OF INDIA
11/3/24

(18)

ग्राम पंचायत में गढ़ी चुनौटी में मनरेगा के कार्य

1. चान्दे बाबा तालाब पर वृक्षारोपण कार्य 2900 पोधे कुल व्यय धनराशि 29291 ।

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

संलग्नक 05

MINES MITRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Lucknow

(खनन-अनुभाग)

साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र

संख्या: NOC/OE/2024/7/4/376326

दिनांक: 02-08-2024

आवेदक एवं अवधि

आवेदक का नाम	PNC INFRATECH LTD	आवेदक का पता	PNC INFRATECH LTD , PNC TOWER CIVIL LINE BY PASS ROAD AGRA 282002
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 02-08-2024 से 10-10-2024 तक	खनन का प्रयोजन	

खनन के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण

नाम	मात्रा
Ordinary Soil	34362.00 घन मी०
कुल	34362.00 घन मी०

साधारण मिट्टी के खनन हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम / नगर	गाटा संख्या/खण्ड संख्या/प्लॉट संख्या	रकबा(हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम
Lucknow	SAROJNI NAGAR	गढ़ी चुनौटी - 143504	268	1.9090	तालाब,

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO.20914 GOVERNMENT OF INDIA

Digitally signed by SURYA PAL GANGWAR
Date: 02 Aug 2024 11:54:48
Lucknow

संलग्नक–06

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक– 74 /T-435-1 लखनऊ,दिनांक,अगस्त 03, 2024.

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषरा में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में "चॉदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके आदेश पत्रांक संख्या–3296/एसटी–एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनके पत्रांक–889/35–1 दिनांक 01.08.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20913

(21)

"चॉदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति

अवध वन प्रभाग, लखनऊ के सरोजनीनगर रेंज अंतर्गत "चॉदे बाबा का तालाब" गढ़ी चुनौटी लखनऊ में तालाब को वेटलैण्ड व पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास कराने हेतु डी0एफ0ओ0, लखनऊ द्वारा निरीक्षण करते हुए एक खुली सभा का का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम, खण्ड विकास के अधिकारीगण व श्री उत्कर्ष सिंह चौहान सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। सभा में उपस्थित उक्त विभाग के समस्त अधिकारीगण से विचार–विमर्श कर संबंधित विभागों से तालाब के विकास हेतु लिये गये निर्णय के कम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण सत्र में 1000 आयरन ट्री–गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज ने अपने पत्रांक–227/29 दिनांक 12.10.2023 (संलग्नक–1) द्वारा अवगत कराया गया कि "चॉदे बाबा का तालाब" में संबंधित विभागों एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष लिये गये निर्णय के अनुसार माह जुलाई, 2023 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या–3269/एसटी–एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 (संलग्नक–2) के कम में वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर ने अपने पत्रांक–266/35–1 दिनांक 31.10.2023 (संलग्नक–3) द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 1000 ट्री–गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार पूर्ण कर लिया गया है–

क0सं0	आयरन ट्री–गार्ड में रोपित प्रजाति	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1	अर्जुन	504
2	जामुन	195
3	सेमल	185
4	कचनार	86
5	पीपल	10
6	बरगद	10
7	पाकड़	10
	योग:–	1000 पौधे

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 20913 GOVERNMENT OF INDIA

उक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज को इस कार्यालय के पत्रांक–54 / टी0सी0 / 29–1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज के माध्यम से "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की कलर्ड फोटोग्राफ सहित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज ने अपने पत्रांक–889 / 35–1 दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक–4) द्वारा अवगत कराया गया है कि "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन स्थित (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आयरन ट्री–गार्ड में उपर्युक्त तालिका के अनुसार रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इस प्रकार खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY
C.P. [illegible]
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA

(23)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज, लखनऊ।

(अवध वन प्रभाग, लखनऊ)

पत्रांक– 227 / 29 (लखनऊ) दिनाँक– 12/10/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
लखनऊ।

विषय:– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०–609/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुपालन विषयक।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक सं०–69/वि० सी०/27/35–3/एन०जी०टी० दि० 1.05.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में आपको और उप प्रभा० वना० मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त, पुनः संदर्भित पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि रिट याचिका सं०–13/2023 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ०प्र० सरकार के क्रम में दि० 13.1.2023 को चंदे बाबा तालाब के क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ आयोजित खुली बैठक में वन विभाग द्वारा चंदे बाबा तालाब व आसपास क्षेत्र में 1000 आसन ग्रीन बेल्ट के पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु आश्वासन दिया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा दि० 01.5.2023 को निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में 350 विभिन्न प्रजातियों का रोपण करा दिया गया था, अवशेष 650 आसन ग्रीन बेल्ट के पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण कार्य माह–जुलाई–2023 में पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार दि० 13.01.2023 को आयोजित खुली बैठक, चंदे बाबा तालाब के ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ किये गये निर्णय के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया गया।

संलग्नक– आसन ग्रीन बेल्ट के फोटो ग्राफ।

भवदीय
[signature] 12/10/2023
(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
सरोजनीनगर रेंज
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

प्रतिलिपि:– उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज अवध वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)

NOTARY
C.P. MISHRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW
GOVERNMENT OF INDIA
7/8/24

(21)

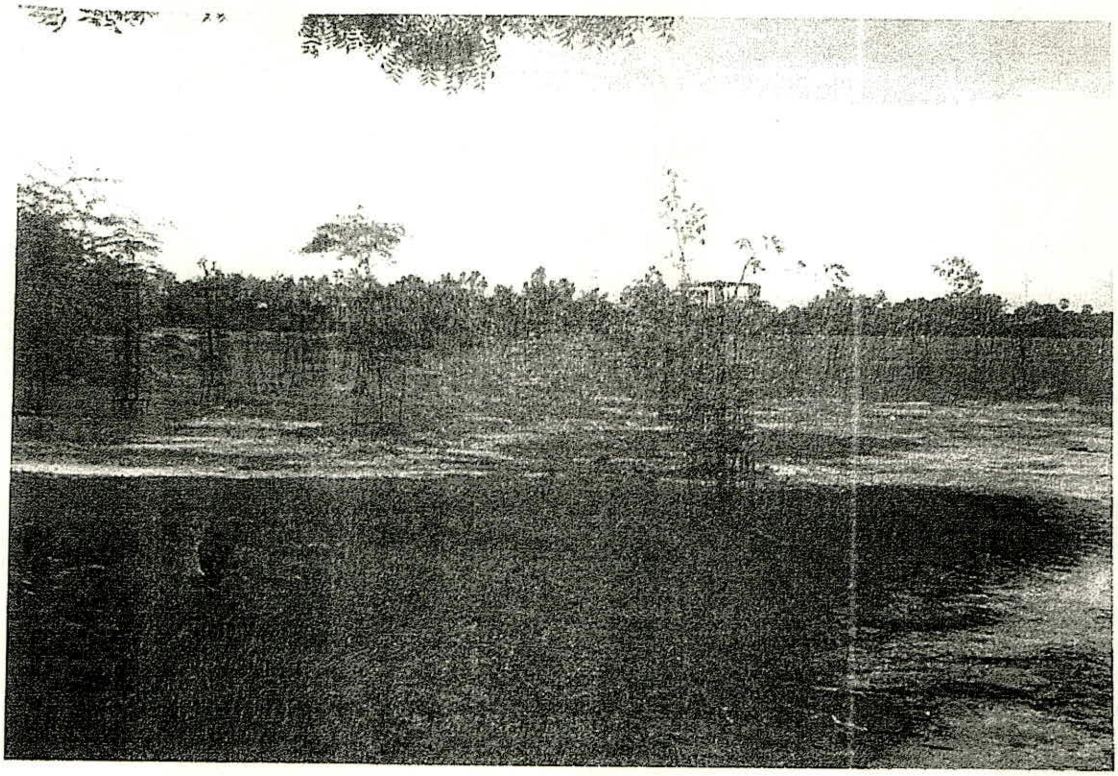

ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVT. OF INDIA

(25)

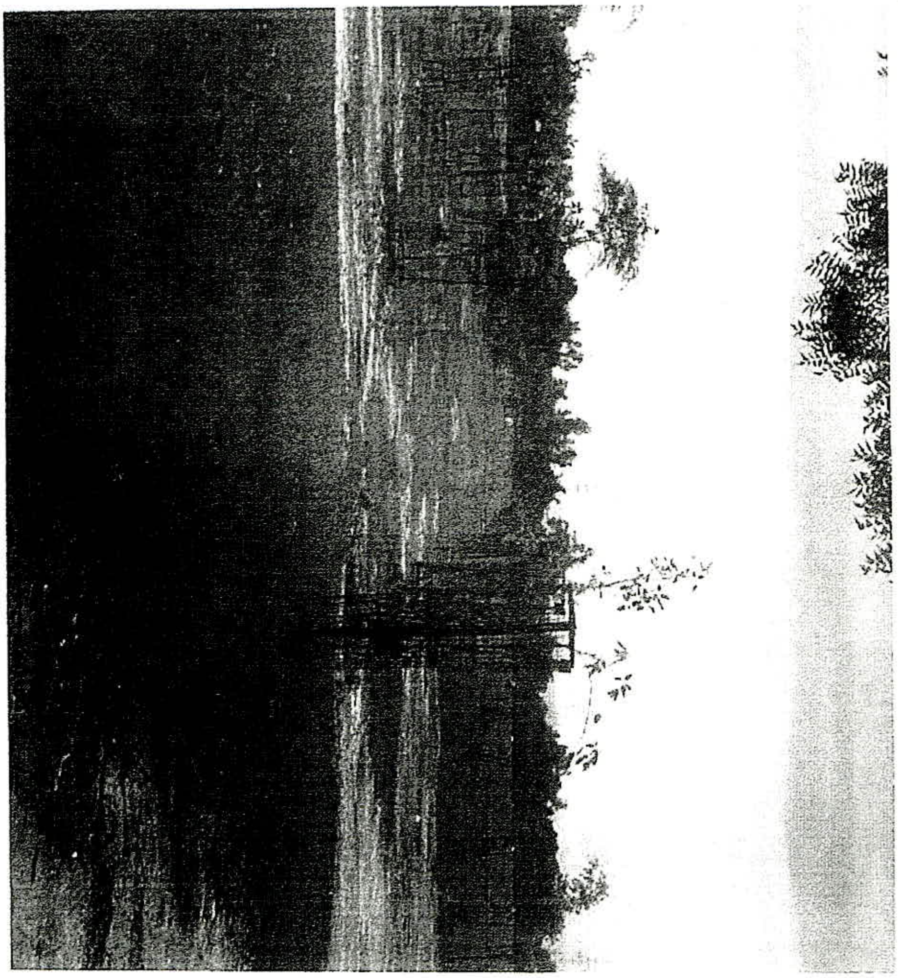

NOTAR
G.N. MIS
ADV. & NOTA
LUCKNOW U
REGN. NO.20
GOVERNMENT OF IN

26

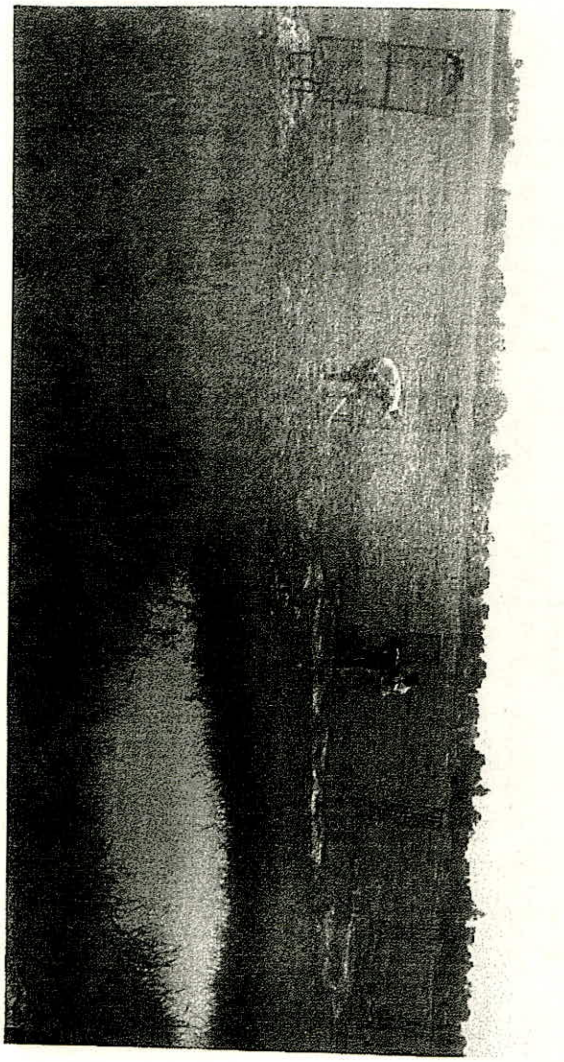

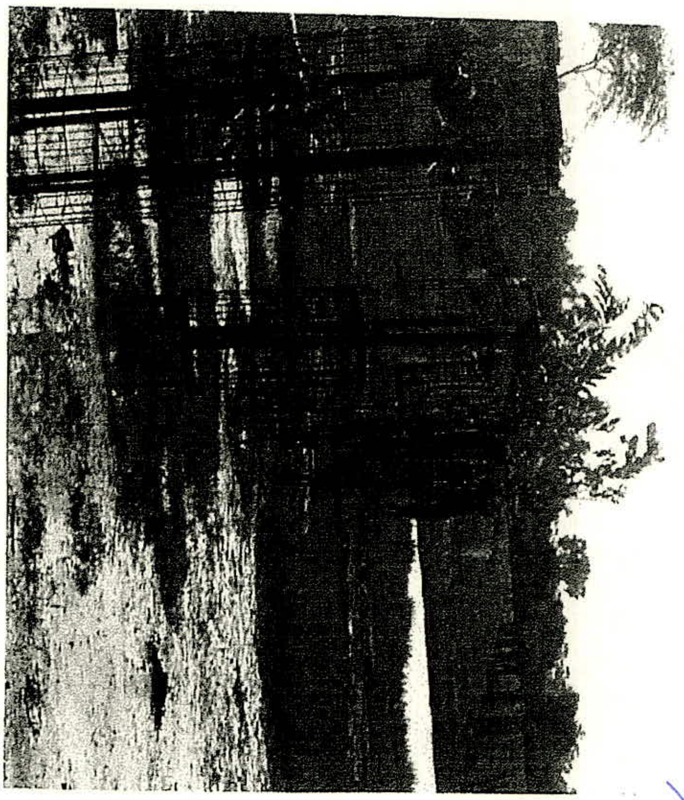

(27)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 568 /14–10–4 लखनऊ, दिनाँक 22 जुलाई, 2024

सेवा में,

1. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ (सदस्य)।
2. जिला मत्स्य अधिकारी, लखनऊ (सदस्य)।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ (सदस्य)।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौटी तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन।

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौटी तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26–07–2024 को अपरान्ह 01:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक आहूत की गयी है।

कृपया उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 568 /14–10–4 समदिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY ... ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. ... GOVERNMENT OF INDIA 7/8/24

O/C

D/PC1/2024/Surveyor/letter-S

Scanned with OKEN Scanner

(28)

दिनांक 26–07–2024 को जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी

उक्त बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौटी तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब के सम्बन्ध में बैठक की गयी।

जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक में कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक सं0 3269/एसटी–एडीएम0(प्रशा0)/2023 दिनांक 27–10–2023 के क्रम में सम्बन्धित विभागों को दिये गये निर्देशों के क्रम में विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि सर्वप्रथम चॉदे बाबा तालाब का डिसिल्टेशन कार्य, जन समुदाय की निर्भरता, मिट्टी का परीक्षण, कैडेस्ट्रल मैप तैयार करने का कार्य पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाये, इसके उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि वेटलैण्ड के जल प्रवाह प्रणाली, जल के स्त्रोत, गिरने वाले नाले की क्षेत्रीय निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरन्तर अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाये।

इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त चॉदे बाबा तालाब को आर्द्रभूमि अधिसूचित करने हेतु Brief document तैयार करके समिति के सभी सदस्यों के साथ पुनः विचार विमर्श किया जायेगा।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 787 /14–10–4 लखनऊ, दिनॉक 29, जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
3. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला मत्सय अधिकारी, लखनऊ।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY
S.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20915
GOVERNMENT OF INDIA

D/PC1/2024/Surveyor/letter-S

Scanned with OKEN Scanner

(24)
संलग्नक 07

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 692/रिट याचिका–144/24 दिनांक : 05-8-24

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिह चौहान बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07/05/2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–217/मनरेगा/एन0जी0टी0 (घन्दे बाबा का ता0)/मना0सा0–0180/2023–24 दिनांक 03/08/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिह चौहान बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07/05/2024 अनुपालन में अवगत कराना है कि सन्दर्भित स्थल ग्राम–मढी चुनौटी, तहसील व विकास खण्ड–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ में स्थित घन्दे बाबा तालाब के जल का अनुश्रवण मासिक रूप से कराया जा रहा है, पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या–492/रिट याचिका–144/2024 दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से माह जनवरी 2024 से माह–जून, 2024 तक की विश्लेषण आख्याएं प्रेषित की जा चुकी है।

अतः माह–जुलाई, 2024 को किये गये जल नमूनो की विश्लेषण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– 1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

NOTARY
C.P. MISHRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVT. OF INDIA

(30)

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-27264376/CENTRAL/2024 Date:02/08/2024

1- Sample Location: Chande Baba Talab (East Side)
2- District: Lucknow
3- Address: vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar, Lucknow
4- Sample Source: Pond
5- Type of sample : Surface Water
6- Sample Collected By : Ankur Gautam, MA
7- Odour : None
8- Quantity and Packing : 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle,1 MPN Glass Bottle
9- Date of Sample Collection : 16/07/2024
10- Analyis Indented by : RO Lucknow
11- Date of sample receipt in Lab : 16/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.50	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	40	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	µS/cm	1260.0	0.1-10000 µS/cm
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	56.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	764.0	5.0 -10000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	240000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	92000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	18.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	87.2	4.0 -1000 mg/l
D.O., APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	8.86	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters

[illegible] The report shall not be reproduced except in full without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as [illegible]

Remarks* : NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
Reeta Keshav (ASO)

NOTARY
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20013
GOVERNMENT OF INDIA
7/08/24

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2024.08.02 17:10:10 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

(31)

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date:02/08/2024

Ref no-27264411/CENTRAL/2024

1- **Sample Location:** Chande Baba Talab (West Side)

2- **District:** Lucknow

3- **Address:** vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar , Lucknow

4- **Sample Source:** Pond

5- **Type of sample :** Surface Water

6- **Sample Collected By :** Ankur Gautam, MA

7- **Odour :** None

8- **Quantity and Packing :** 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle,1 MPN Glass Bottle

9- **Date of Sample Collection :** 16/07/2024

10- **Analyis Indented by :** RO Lucknow

11- **Date of sample receipt in Lab :** 16/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.42	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	40	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	µS/cm	1384.0	0.1-10000 µS/cm
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	68.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	836.0	5.0 -10000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	140000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	78000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	24.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	95.2	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	7.23	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
Reeta Keshav (ASO)

NOTARY C.P. ... ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 20917 GOVERNMENT OF INDIA 7/8/24

RAM GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory